छत्तीसगढ़ WR ट्रांसमिशन लिमिटेड

नोटिस

(विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 15 की उपधारा (2) के अंतर्गत)

1. **छत्तीसगढ़ WR ट्रांसमिशन लिमिटेड** जिसका ऑफिस **अदाणी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, वैष्णोदेवी सर्कल के पास, एस.जी. हाईवे, खोडियार, अहमदाबाद, गुजरात, भारत–382421** में स्थित है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित है, ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन, नई दिल्ली के समक्ष बिजली अधिनियम,2003 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत ट्रांसमिशन लाइन्स, सब–स्टेशन्स तथा अन्य एसेट्स के संबंध में , जिनका विवरण नीचे दिया गया है, ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन किया है:

क्र. सं.	लाइन का नाम (स्थिति)	लाइन की लंबाई/ क्षमता	पूर्णता की अनुमानित लागत या लेवलाइज्ड ट्रांसमिशन चार्जेज	शिड्यूल सीओडी
1.	सिंगरौली III – विंध्याचल पीएस ट्रांसमिशन लाइन	400 केवी	रु. 8.54 करोड	CTUIL द्वारा OM जारी किए जाने के 17 महिने बाद

2. किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए संपूर्ण आवेदन तथा अन्य कागजात वेबसाइट www.adanienergysolutions.com पर उपलब्ध हैं. आवेदक इनका निरीक्षण भी कंपनी के ऑफ़िस **12वीं मंजिल, साऊथ विंग, केपी एपीटोम, मकरबा, अहमदाबाद–380051** पर **प्रशान्त कुमार** से संपर्क करके या कमीशन के ऑफ़िस पर कमीशन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके कर सकता है.
3. अगर कोई आपत्तियां या सुझाव हों, तो उन्हें समाचार में नोटिस के प्रकाशित होने से 15 दिनों के अंदर आवेदक या उनके अधिकृत एजेन्ट को आपत्ति(यों)/सुझावों की प्रति देते हुए सेक्रेटरी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन, **छटी, सातवीं और आठवीं मंजिल, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029** के समक्ष दर्ज किए जाने चाहिए.

स्थान: अहमदाबाद
दिनांक: 07.11.2026

प्रशान्त कुमार
(हेड – रेग्युलेटरी एंड कमर्शियल)

Size: 12cm (w) x 12cm (h)